अनुक्रमणिका

प्रस्तावना पृ. 4–18

प्रथम अध्याय गीत पृ. 19–97

लोकजीवन, लोकभाषा, अकेलापन, शोषण, निराशा, बौध्दिक, प्रेम और रोमांस की धारणा, द्वन्द्व, क्षणवाद, पीड़ा, प्रकृति, विरह, मनोवैज्ञानिक, मन, स्वप्न, यादें, दर्पण, कृषक, विवशता, रात, मानवता, उपदेश, कर्मवाद पौराणिक संदर्भ, पलायन, टूटन, जीजिविषा, सन्देश, एकात्मता, काव्य का मूल भाव, लोकोत्सव, मार्क्सवादी चेतना, विरह की चित्रात्मकता, दहेज प्रथा, और नारी, आधी ज़िंन्दगी आधी प्यास, (समग्रालोचन)

द्वितीय अध्याय हिन्दी मुक्तक काव्य (मुक्तक की परिभाषा) पृ. 98–192

संस्कृति, प्रकृति, प्रतीकवाद, सामाजिक बिखराव, जीजिविषा, क्षणवाद, यथार्थ, व्यंग्य, सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति, सैध्दांतिकता, प्रतीकात्मकता, महानगरीय जीवन का चित्रण, जीवन की नश्वरताका बोध, टूटन, बेकारी, नारी के प्रति दृष्टिकोण, जीवन की व्यावहारिकता, राजनीति , द्वंद्व, भूखी पीढ़ी का चित्रण, समग्रालोचन।

तृतीय अध्याय कविता पृ, 193–261

राष्ट्रीयता, राजनीति, सामाजिकता, वैयक्तिकता, वेदना, व्यंग्य, कुण्ठा, यांत्रिक जीवन का चित्रण, यथार्थ के प्रति आग्रह, टूटन, द्वंद्व, संक्षिप्तता, बौध्दिकता, मैं और मेरा चुप, (समाग्रालोचन)

चतुर्थ अध्याय ग़ज़ल पृ. 262–304

स्वरुप एवं विशेषताएँ, शिल्पगत ,अध्ययन, ग़ज़ले, मुसलसल, क़तआ, ग़ज़ल, अलंकार:-अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेप अलंकार, रुपक, उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, व्याजस्तुति, (समग्रालोचन)

पंचम अध्याय शिल्पगत अध्ययन पृ. 305–354

काव्य शिल्प का तात्विक विवेचन, भावात्मक संरचना का स्वरुप, शब्दयोजना,
1. अंग्रेज़ी बाहुल्य भाषा 2, उर्दू फ़ारसी अरबी बाहुल्य भाषा, संस्कृत शब्दों से मिश्रित सामान्य भाषा मुहावरें, बिम्बयोजना, – दृष्टि बिम्ब, गन्ध बिम्ब, रस बिम्ब , वर्ण बिम्ब, स्पर्श बिम्ब, नाद या श्रव्य बिम्ब, संयुक्त बिम्ब, प्राकृतिक बिम्ब, जीवन के क्रिया कलाप संबधी बिम्ब, प्रतीक विधान, पौराणिक प्रतीक, प्राकृतिक प्रतीक, सांस्कृतिक प्रतीक, वैज्ञानिक प्रतीक, यौन प्रतीक, अप्रस्तुत विधान:–कलात्मक अप्रस्तुत, प्रकृतिजन्य अप्रस्तुत, पौराणिकअप्रस्तुत , वैज्ञानिक अप्रस्तुत, मूर्तके लिए अमूर्त अप्रस्तुत, अमूर्त के लिए मूर्त अप्रस्तुत, प्रतीकात्मक अप्रस्तुत, लाक्षणिक अप्रस्तुत, मानवीकरण, आत्मविषयक रुपक, नव्यताएँ शीर्षक (समग्रालोचन)

उपसंहार पृ. 355–363

संदर्भ ग्रंथ सूची पृ.364-368

3-3

प्रस्तावना